प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 02.11.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

आज दिनांक 02.11.2023 को यातायात निदेशालय के निर्देशानुसार मनाये जा रहे यातायात माह नवम्बर 2023 के अन्तर्गत जनपद खीरी में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में यातायात जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पुलिस लाइन परिसर में यातायात शाखा में नियुक्त पुलिस बल को प्रभारी यातायात द्वारा कुशल यातायात संचालन के लिए जागरूक किया गया ।

आज दिनांक 02.11.2023 को यातायात निदेशालय के निर्देशानुसार मनाये जा रहे यातायात माह नवम्बर 2023 के अन्तर्गत जनपद खीरी में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में द्वितीय दिवस में जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पुलिस लाइन परिसर में यातायात शाखा में नियुक्त उनि0 यातायात, मु0 आरक्षी/ आरक्षी यातायात व होमगार्ड्स, पीआरडी को प्रभारी यातायात द्वारा कुशल यातायात संचालन के लिए जागरूक किया गया । कुशल यातायात संचालन, जाम से निजात पाये जाने व यातायात माह नवम्बर 2023 के दृष्टिगत यातायात नियमों के प्रति जागरूकता आमजनमानस तक पहुँचाने हेतु निर्देशित किया गया । प्रभारी यातायात खीरी द्वारा बताया गया कि यातायात व्यवस्था संचालन में लगे समस्त कर्म0 गण यातायात व्यवस्था संचालन के साथ- साथ सभी कर्म0 गण वाहन चालकों को दो पहिया वाहन चलाते समय हेल्मेट धारण करने व चार पहिया वाहन चलाते समय सीटबेल्ट धारण करने

हेतु जागरूक करेंगे । टीएसआई मनीष पाठक द्वारा यातायात संचालन के लिए (5-E) कॉनसेप्ट E-एजुकेट, E-इंजीनियरिंग, E-इनफोर्समेन्ट, E-इन्वायरमेन्ट, E – इमरजेन्सी के विषय में यातायात संचालन में इनकी क्या भूमिका होगी इस विषय की जानकारी से अवगत कराया गया, टीएसआई महेन्द्र प्रताप द्वारा यातायात संचालन में लगे होमगार्ड्स व पीआरडी जवानों को चौराहों पर खड़े होकर यातायात संचालन के किए प्रशिक्षित किया गया । मुख्य आरक्षी यातायात हरीराम, राजेश रावत, राणा प्रताप व इन्द्र नारायण तिवारी द्वारा जाम की स्थिति से कैसे निपटा जाये इस विषय में प्रशिक्षित किया गया । प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान होमगार्ड्स व पीआरडी जवानों को यातायात हैण्ड स्टिक व पम्पलेट देकर यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गयी तथा आम जनमानस में यातायात नियमों की जानकारी दिये जाने के लिए प्रेरित किया गया ।

<u>यातायात माह नवम्बर 2023 के दृष्टिगत छात्र-छात्रांओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के सम्बन्ध में संगोष्ठी कर जागरूक किया गया ।</u>

आज दिनांक 02.11.2023 को यातायात निदेशालय के निर्देशानुसार मनाये जा रहे यातायात माह नवम्बर 2023 के अन्तर्गत जनपद खीरी में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में द्वितीय दिवस में जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पं0 दीनदयाल इण्टर कालेज उदयपुर महेवा जनपद खीरी में संगोष्ठी कर यातायात माह नवम्बर 2023 के दृष्टिगत छात्र-छात्रांओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के सम्बन्ध में जागरूक किया गया । प्रभारी यातायात खीरी द्वारा बताया गया कि स्कूल जाते समय दौड़िये मत और न ही उतावलापन कीजिए। स्कूल पहुंचने के लिए घर से थोड़ा जल्दी चलिए फुटपाथ पर चलिए और अगर फुटपाथ नही है तो सड़क के किनारे बाएं पटरी पर चलिए। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी न चलें तथा तेज गति से वाहन कदापि न चलायें। सड़क पर मत खेलिए आप के लिए खतरनाक हो सकता है। सड़क पर चलते समय अपने बायें से चलें, सड़क पार करते समय पहले बायें देखें-फिर दायें, उसके बाद कदम आगे बढ़ायें। जेब्रा लाइन, स्टॉप लाइन का ध्यान रखिये यातायात संकेत मिलने पर ही आगे बढिये । उक्त कार्यक्रम के दौरान पं0 दीनदयाल इण्टर कालेज उदयपुर महेवा जनपद खीरी के प्रबंधक, प्रधानाचार्य व विद्यालय के शिक्षकगणों के साथ लगभग 2000 छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे ।

<u>थाना मैलानी पुलिस द्वारा, 02 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, 01 अदद चाकू अवैध लोहा, 01 अदद हथौडी, 01 अदद पेचकस, 01 अदद चाबी का गुच्छा के साथ 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 02.11.2023 को थाना मैलानी पुलिस द्वारा क्षेत्राधिकारी महोदय गोला के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष मैलानी के नेतृत्व में गस्त व चेकिंग के दौरान 03 नफर अभियुक्तों 1.निजामुद्दीन पुत्र जलालुद्दीन उम्र करीब 35 वर्ष नि0 वार्ड न0 5 मो0 अहमद नगर कस्बा व थाना पुरनपुर जिला पीलीभीत 2.सरताज s/o इरशाद उम्र करीब 22 वर्ष निवासी वार्ड न0 5 मो0 अहमद नगर कस्बा व थाना पुरनपुर जिला पीलीभीत 3.नियाजुद्दीन S/O जलालुद्दीन उम्र करीब 23 वर्ष नि0 वार्ड न0 5 मो0 अहमद नगर कस्बा व थाना पुरनपुर जिला पीलीभीत को 02 अदद अवैध देशी तमन्चे 12 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, 01 अदद चाकू अवैध लोहा, 01 अदद हथौडी, 01 अदद पेचकस, 01 अदद चाबी का गुच्छा के साथ गिरफ्तार किया गया,जिसके संबंध में थाना मैलानी पर मु0अ0सं0 418/23 धारा 401 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर मा0 न्यायालय भेजा गया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण</u>

1.निजामुद्दीन पुत्र जलालुद्दीन उम्र करीब 35 वर्ष नि0 वार्ड न0 5 मो0 अहमद नगर कस्बा व थाना पुरनपुर जिला पीलीभीत

2.सरताज s/o इरशाद उम्र करीब 22 वर्ष निवासी वार्ड न0 5 मो0 अहमद नगर कस्बा व थाना पुरनपुर जिला पीलीभीत

3.नियाजुद्दीन S/O जलालुद्दीन उम्र करीब 23 वर्ष नि0 वार्ड न0 5 मो0 अहमद नगर कस्बा व थाना पुरनपुर जिला पीलीभीत

<u>बरामदगी</u>

दो अदद अवैध देशी तमन्चे 12 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, एक अदद चाकू अवैध लोहा, एक अदद हथौडी, एक अदद पेचकस, एक अदद चाबी का गुच्छा

<u>अपराधिक इतिहास</u>

अभियुक्त निजामुद्दीन पुत्र जलालुद्दीन नि0 वार्ड न0 5 मो0 अहमदनगर कस्बा व थाना पूरनपुर पीलीभीत
1.मु0अ0सं0 1020/2008 धारा 364/506/506 भादवि थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत
2.मु0अ0स0 44/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना उत्तरी सेहरामऊ जनपद पीलीभीत
3.मु0अ0सं0 418/23 धारा 401 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मैलानी खीरी

अभियुक्त सरताज पुत्र इरशाद नि0 वार्ड न0 5 मो0 अहमदनगर कस्बा व थाना पूरनपुर , पीलीभीत
1.मु0अ0सं0 524/23 धारा 323/504/506 भादवि व 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट थाना पूरनपुर पीलीभीत
2.मु0अ0सं0 418/23 धारा 401 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मैलानी खीरी

अभियुक्त नियाजुद्दीन S/O जलालुद्दीन उम्र करीब 23 वर्ष नि0 वार्ड न0 5 मो0 अहमद नगर कस्बा व थाना पुरनपुर जिला पीलीभीत
1.मु0अ0सं0 418/23 धारा 401 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मैलानी खीरी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 संजीव कुमार तोमर चौकी प्रभारी बरगद थाना मैलानी
2.का0 सचिन कुमार थाना मैलानी जनपद खीरी
3.का0 जाबिर हुसैन थाना मैलानी जनपद खीरी
4.का0 गौरव उज्जवल थाना मैलानी जनपद खीरी

थाना गोला पुलिस द्वारा, जुआं खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों को ताश के पत्तें व कुल 1350/- रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 02.11.2023 को थाना गोला पुलिस द्वारा जुआं खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों को ताश के पत्तें व कुल 1,350/- रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना गोला पर मु0अ0सं0 649/23 धारा 13 जुआं अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. अशोक पुत्र दीनबन्धू नि0 ग्राम कंचनपुर थाना गोला जनपद खीरी
2. रमेसुर पुत्र रामस्वरूप नि0 ग्राम कंचनपुर थाना गोला जनपद खीरी
3. नजाकत पुत्र हसन रजा नि0 ग्राम कंचनपुर थाना गोला जनपद खीरी
4. अजय पुत्र गुरदीन नि0 ग्राम कंचनपुर थाना गोला जनपद खीरी

बरामदगी विवरण

52 अदद ताश के पत्त व कुल 1350/- रू0 बरामद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.उ0नि0 प्रेमचन्द्र रावत
2. का0 चन्द्रेश कुमार
3.का0 अंकित कुमार सिंह
4.का0 कपिल रावल
5.का0 घनश्याम यादव

थाना खमरिया पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त विपिन गौतम को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 02.11.2023 को थाना खमरिया पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त विपिन गौतम पुत्र स्व० रामेश्वर गौतम निवासी गुलरिया थाना खमरिया जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में मु०अ०सं० 266/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
विपिन गौतम पुत्र स्व० रामेश्वर गौतम निवासी गुलरिया थाना खमरिया जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण-
01 अदद अवैध तमन्चा 12 बोर
01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1. उ0नि0 नागेंद्र पांडेय, थाना खमरिया
2. उ0नि0 रामशेष यादव, थाना खमरिया
3. का0 गौरव मिश्रा थाना खमरिया

<u>थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, 21 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ (स्मैक) बरामद कर अभियुक्त अफजल खान पुत्र नियामत को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अभियुक्त अफजल खान पुत्र नियामत नि0 शेखनपुरवा थाना धौरहरा जनपद खीरी को 21 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ (स्मैक) बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना धौरहरा पर मु0अ0सं0 722/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>वांछित/वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण</u>

1-कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 1067/23 धारा 363/344 भादवि में वांछित 02 नफर अभियुक्तों पारस पुत्र राकेश नि0 शिव कॉलोनी थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी व वृषभ पुत्र रीकेश नि0 संकटा देवी थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

2-थाना खमरिया पुलिस द्वारा, अ0सं0 1053/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में वारंटी अभियुक्त भगवानदीन पुत्र रामप्रसाद नि0 मड़वा थाना खमरिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

3-थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, अ0सं0 363/21 धारा 128 सीआरपीसी में वारंटी अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र पैकरमा नि0 घुरघुटया बुजुर्ग थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 108 लीटर अवैध शराब बरामद कर 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>108 लीटर अवैध कच्ची शराब व 02 शराब भट्ठी</u>** बरामद कर **<u>07 अभियुक्तों</u>** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **<u>07 अभियोग</u>** पंजीकृत किए गए।